नई शिक्षा नीति 2020 का परिचय

*संगीता कंवर

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखने और सिखाने की क्रिया | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी समाज में चलने वाली वह निरंतर प्रक्रिया जिसका उद्देश्य इंसान की आन्तरिक शक्तियों का विकास करना और उसके व्यवहार में सुधार लाना है | शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य ज्ञान और कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाना है | गौरतलब है कि आजादी के बाद भारत में पहली शिक्षा नीति सन 1986 में बनाई गई थी जो मुख्यतः लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी प्रधान रिक्षा नीति पर आधारित थी। इसमें सन 1992 में कुछ संशोधन भी किए गए किंतु इसका ढांचा मूलतः अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। आज समय के साथ हमें यह महसूस हुआ कि 1986 की वह शिक्षा नीति में कुछ खामियां हैं इसके तहत बच्चा ज्ञान तो हासिल कर रहा है किन्तु यह ज्ञान उससे भविष्य में रोजगार के अवसर पैदा करने योग्य नहीं बन पा रहा है। अतः इन कमियों को दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाने की आवश्यकता पड़ी । नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 21वीं शताब्दी की ऐसी पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए आने वाले आवश्यकता को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और उसके सांस्कृतिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए 21वीं |सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्य जिसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था उसके नियमों का वर्णन सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमता के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से ना केवल साक्षरता, उच्च स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधित संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए।

भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण

एनईपी-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian Sign Language-ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। NEP-2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक 'भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान' (Indian Institute of Translation and Interpretation- IITI), 'फारसी, पाली और प्राकृत के लिये राष्ट्रीय संस्थान (या संस्थान)' [National Institute (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit] स्थापित करने के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मज़बूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम से रूप में मातृभाषा/ स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिये जाने का सुझाव दिया है।

1. जहां तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो - यह अच्छी तरह से समझा जाता है कि छोटे बच्चे अपनी घरेलू भाषा/मातृभाषा में गैर-तुच्छ अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते और समझते हैं।

घरेलू भाषा आमतौर पर वही भाषा होती है जो मातृभाषा होती है या जो स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाती है। हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली घरेलू भाषा हो सकती है जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है।

जहां भी संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, जहां भी संभव हो, घरेलू/स्थानीय भाषा को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। इसका पालन सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों द्वारा किया जाएगा।

विज्ञान सहित उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्यपुस्तकें घरेलू भाषाओं/मातृभाषा में उपलब्ध कराई जाएंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही सभी प्रयास किए जाएंगे कि बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच मौजूद किसी भी अंतर को पाट दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां घरेलू भाषा/मातृभाषा पाठ्यपुस्तक सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और शिक्षकों के बीच लेनदेन की भाषा जहाँ भी संभव हो छात्रों की घरेलू भाषा/मातृभाषा अभी भी बनी रहेगी।

शिक्षकों को उन छात्रों के साथ द्विभाषी शिक्षण-शिक्षण सामग्री सहित द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिनकी घरेलू भाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो सकती है। सभी विद्यार्थियों को सभी भाषाएँ उच्च गुणवत्ता के साथ सिखाई जाएँगी; किसी भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए उसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है।

2. राज्यों के बीच एक-दूसरे से भाषा शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय समझौता - जैसा कि अनुसंधान से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि बच्चे 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से युवा छात्रों को बहुत संज्ञानात्मक लाभ होते हैं, बच्चे विभिन्न भाषाओं से परिचित होंगे। शुरुआत में (लेकिन मातृभाषा पर विशेष जोर के साथ), फाउंडेशनल स्टेज से शुरू करके।

सभी भाषाओं को मनोरंजक और इंटरैक्टिव शैली में पढ़ाया जाएगा, जिसमें बहुत सारी इंटरैक्टिव बातचीत होगी, और प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में पढ़ना और बाद में लिखना होगा, और ग्रेड 3 और उससे आगे अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किया जाएगा। .

देश भर की सभी क्षेत्रीय भाषाओं और विशेष रूप से भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं के लिए बड़ी संख्या में भाषा शिक्षकों में निवेश करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की ओर से एक बड़ा प्रयास किया जाएगा।

राज्य, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, अपने-अपने राज्यों में त्रि-भाषा फॉर्मूले को पूरा करने के लिए, और देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, एक-दूसरे से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय समझौते में प्रवेश कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं को सीखने-सिखाने और भाषा शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा

3. त्रि-भाषा सूत्र में अधिक लचीलापन और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी - संवैधानिक प्रावधानों, लोगों, क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए त्रि-भाषा सूत्र लागू किया जाता रहेगा। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

हालाँकि, त्रि-भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा नहीं थोपी जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से स्वयं छात्रों की पसंद होंगी, जब तक कि तीन में से कम से कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों।

विशेष रूप से, जो छात्र अपने द्वारा पढ़ी जा रही तीन भाषाओं में से एक या अधिक को बदलना चाहते हैं, वे ग्रेड 6 या 7 में ऐसा कर सकते हैं, जब तक कि वे तीन भाषाओं (साहित्य स्तर पर भारत की एक भाषा सहित) में बुनियादी दक्षता प्रदर्शित करने में सक्षम हों।) माध्यमिक विद्यालय के अंत तक।

4. विज्ञान और गणित के लिए द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-सीखने की सामग्री - विज्ञान और गणित के लिए उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-सीखने की सामग्री तैयार करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, ताकि छात्र दोनों विषयों के बारे में सोचने और बोलने में सक्षम हो सकें। अपनी घरेलू भाषा/मातृभाषा और अंग्रेजी में।

5. एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल - सांस्कृतिक संवर्धन के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों के लिए, सभी युवा भारतीयों को अपने देश की भाषाओं की समृद्ध और विशाल श्रृंखला और उनमें और उनके साहित्य में मौजूद खजाने के बारे में पता होना चाहिए।

देश का प्रत्येक छात्र कभी-कभी ग्रेड 6-8 में, जैसे कि 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल के तहत, 'भारत की भाषाओं' पर एक मनोरंजक परियोजना/गतिविधि में भाग लेगा। इस परियोजना/गतिविधि में, छात्र अधिकांश प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में सीखेंगे, जिसमें उनकी सामान्य ध्वन्यात्मक और वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित वर्णमाला और लिपियाँ, उनकी सामान्य व्याकरणिक संरचनाएँ, उनकी उत्पत्ति और संस्कृत और अन्य शास्त्रीय शब्दावली के स्रोत शामिल हैं। भाषाएँ, साथ ही उनके समृद्ध अंतर-प्रभाव और अंतर।

छात्र यह भी सीखेंगे कि कौन से भौगोलिक क्षेत्रों में कौन सी भाषाएँ बोली जाती हैं, जनजातीय भाषाओं की प्रकृति और संरचना की समझ प्राप्त होगी, और भारत की हर प्रमुख भाषा में आम तौर पर बोली जाने वाली वाक्यांशों और वाक्यों को बोलना सीखेंगे और समृद्ध और उत्थानशील साहित्य के बारे में भी कुछ सीखेंगे। प्रत्येक (आवश्यकतानुसार उपयुक्त अनुवाद के माध्यम से)। इस तरह की गतिविधि से उन्हें भारत की एकता और सुंदर सांस्कृतिक विरासत और विविधता का एहसास होगा और जब वे भारत के अन्य हिस्सों के लोगों से मिलेंगे तो यह उनके पूरे जीवन के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। यह परियोजना/गतिविधि एक आनंददायक गतिविधि होगी और इसमें किसी भी प्रकार का मूल्यांकन शामिल नहीं होगा।

6.संस्कृत को स्कूल के सभी स्तरों पर विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा - भारत की शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सुंदरता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

संस्कृत, जबकि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा भी है, के पास एक शास्त्रीय साहित्य है जो लैटिन और ग्रीक की तुलना में अधिक मात्रा में है, जिसमें गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति के विशाल खजाने शामिल हैं। , चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी, और बहुत कुछ (जिसे 'संस्कृत ज्ञान प्रणाली' के रूप में जाना जाता है), विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ-साथ गैर-धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों द्वारा लिखा गया है। हजारों वर्षों से चली आ रही सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की सीमा।

इस प्रकार, संस्कृत को स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा, जिसमें त्रि-भाषा सूत्र में एक विकल्प भी शामिल है। इसे ऐसे तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प और अनुभवात्मक होने के साथ-साथ समसामयिक रूप से प्रासंगिक हों, जिसमें संस्कृत ज्ञान प्रणालियों का उपयोग और विशेष रूप से ध्वन्यात्मकता और उच्चारण शामिल है। संस्कृत (एसटीएस) के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने और इसके अध्ययन को वास्तव में मनोरंजक बनाने के लिए बुनियादी और मध्य विद्यालय स्तर पर संस्कृत पाठ्यपुस्तकें सरल मानक संस्कृत (एसएसएस) में लिखी जा सकती हैं।

7. तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सहित अन्य भारतीय शास्त्रीय भाषाओं का प्रचार - भारत में शास्त्रीय तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं में भी अत्यंत समृद्ध साहित्य है। इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फ़ारसी और प्राकृत; और उनके साहित्य के कार्यों को भी उनकी समृद्धि और भावी पीढ़ी के आनंद और संवर्धन के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए।

जैसे-जैसे भारत एक पूर्ण विकसित देश बन जाएगा, अगली पीढ़ी भारत के व्यापक और सुंदर शास्त्रीय साहित्य में भाग लेना चाहेगी और उससे समृद्ध होना चाहेगी। संस्कृत के अलावा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया सहित भारत की अन्य शास्त्रीय भाषाएँ और साहित्य भी शामिल हैं। , पाली, फ़ारसी और प्राकृत भी स्कूलों में छात्रों के लिए विकल्प के रूप में, संभवतः ऑनलाइन मॉड्यूल के रूप में, अनुभवात्मक और नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये भाषाएँ और साहित्य जीवित और जीवंत रहें।

समृद्ध मौखिक और लिखित साहित्य, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान वाली सभी भारतीय भाषाओं के लिए समान प्रयास किए जाएंगे। 4.19.बच्चों के संवर्धन के लिए, और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए, सभी स्कूलों, सार्वजनिक या निजी, के सभी छात्रों के पास कम से कम दो साल तक भारत की एक शास्त्रीय भाषा और उसकी शिक्षा सीखने का विकल्प होगा। संबद्ध साहित्य, प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित, अनुभवात्मक और नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से, ग्रेड 6-12 में, मध्य चरण से माध्यमिक चरण और उससे आगे तक जारी रखने के विकल्प के साथ।

8. मिडिल और सेकेंडरी स्कूल में दो शास्त्रीय भाषाएँ सीखने का विकल्प - बच्चों के संवर्धन के लिए, और इन समृद्ध भाषाओं और उनके कलात्मक खजाने के संरक्षण के लिए, सभी स्कूलों, सार्वजनिक या निजी, में सभी छात्रों के पास सीखने का विकल्प होगा। भारत की शास्त्रीय भाषा और उससे जुड़े साहित्य में कम से कम दो साल, प्रौद्योगिकी के एकीकरण सहित अनुभवात्मक और नवीन दृष्टिकोण के माध्यम से, ग्रेड 6-12 में, मध्य चरण से माध्यमिक चरण और उससे आगे तक जारी रखने के विकल्प के साथ।

9. विदेशी भाषाएँ - भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्च गुणवत्ता की पेशकश के अलावा, छात्रों के लिए कोरियाई, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाएँ भी माध्यमिक स्तर पर पेश की जाएंगी। दुनिया की संस्कृतियों के बारे में जानने और अपने हितों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान और गतिशीलता को समृद्ध करने के लिए।

10. गेमिफिकेशन और ऐप्स के माध्यम से भाषाओं का शिक्षण - सभी भाषाओं के शिक्षण को नवीन और अनुभवात्मक तरीकों के माध्यम से बढ़ाया जाएगा, जिसमें गेमिफिकेशन और ऐप्स के माध्यम से, भाषाओं के सांस्कृतिक पहलुओं जैसे फिल्म, थिएटर, कहानी, कविता, को शामिल करके शामिल किया जाएगा। और संगीत - और

विभिन्न प्रासंगिक विषयों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ संबंध बनाकर। इस प्रकार, भाषाओं का शिक्षण भी अनुभवात्मक-अधिगम शिक्षाशास्त्र पर आधारित होगा।

11.भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) - आईएसएल को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा, और श्रवण बाधित छात्रों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी। जहां संभव और प्रासंगिक हो, स्थानीय सांकेतिक भाषाओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सिखाया भी जाएगा।

निष्कर्ष:-

अतः निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता के रूप में वर्णित करती है।

भारत को 'LEAP' (Language Empowerment for Achieving Potential) का अंगीकरण करने की आवश्यकता है। LEAP बहुभाषावाद का समर्थन करके और शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करके भाषाई कौशल को बढ़ाने, संज्ञानात्मक विकास में सुधार लाने और सांस्कृतिक रूप से विविध एवं बौद्धिक रूप से समृद्ध शैक्षिक वातावरण का सृजन करने में मदद करेगा।

***Department of Education**
Apex University, Jaipur (Raj.)

संदर्भ:-

1. भारत सरकार, 2020, नई शिक्षा नीति-2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली
2. भारत सरकार, 1986, नई शिक्षा नीति-2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली
3. भारत सरकार, 1968, नई शिक्षा नीति-2020, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली
4. रा.शै.अ.प्र.प. 1976. दस वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम — एक रूपरेखा. रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.